शेरे हरियाणा शनिवार, 23 जुलाई 2016

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भिवानी में बिना बीआईएस हालमार्क लाइसेंस के हालमार्क लगाकर बेचने वाले ज्वैलर पर छापा

फरीदाबाद। भारतीय मानक ब्यूरो के फरीदाबाद शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने सूचना के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो, फरीदाबाद के प्रमुख श्री सुनील कुमार, वैज्ञानिक एफ के आदेशानुसार भिवानी शहर के पुलिस स्टेशन, हरियाणा के सहयोग से बी आई एस हालमार्क के दुरूपयोग के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई 2016 को आभूषणों की दुकानए मै0 हरे रामा हरे कृष्णा जवेलर्सए बिचला बाजार, भिवानी, हरियाणा के परिसर पर छापा मारा । फर्म के मालिक का नाम श्री वीरेंदर कुमार है । ज्वैजलर हाल मार्क लगी ज्वे लरी को बिना बी0आई0एस0 लाइसेंस के बेचता हुआ पाया गया । भारतीय मानक ब्यूरि की टीम का नेतृत्व श्री पी0के0 गुप्ताए वैज्ञानिक सी ने किया । टीम में अन्यत सदस्य। श्रीमती नेहा यादव वैज्ञानिक सीए श्री साहिल भाटिया वैज्ञानिक बीए श्री तपन कुमार हलदार वैज्ञानिक बी और भिवानी शहर के पुलिस स्टेशन हरियाणा के अधिकारी शामिल थे । छापे के दौरान हॉलमार्क लगी ज्वैलरी दुकान में पाई गई और मै0 हरे रामा हरे कृष्णा जवेलर्स बिना बी0आई0एस0 लाइसेंस के बी0आई0एस0 हालमार्क लगे आभूषण बेच रहा था जो कि भारतीय मानक ब्यौरो के लाइसेंस के बिना अवैध है । छापे के समय बी0आई0एस0 हॉलमार्क लगे हाथ में पहनने वाले स्वार्ण के क? दुकान पर बेचे जाते पाये गये । इस फर्म व इसके मालिक के विरूद्ध भारतीय मानक ब्यू रो अधिनियमए 1986 के अन्तरर्गत कार्यवाही की जा रही है । इस तरह के अपराध की सजा एक वर्ष तक का कारावास अथवा 50,000 रूपये या दोनों जुर्माने का बी0आई0एस0 एक्टए 1986 में प्रावधान है । भारतीय मानक ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि बीआईएस हालमार्क लाइसेंस के बिना हाल मार्क लगाने वाले ज्वेनलर्स के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

— Press Clippings 2.jpg

दैनिक भास्कर, फरीदाबाद शनिवार 23 जुलाई, 2016

न्यूज ब्रीफ

बीआईएस हॉलमार्क का दुरुपयोग करते पकड़ा

फरीदाबाद | बीआईएस हॉलमार्क का दुरुपयोग करने की शिकायत पर भारतीय मानक ब्यूरो फरीदाबाद की टीम ने भिवानी स्थित हरे रामा हरे कृष्णा ज्वैलर्स पर छापा मारा। ज्वैलर हॉलमार्क लगी ज्वैलरी को बिना बीआईएस लाइसेंस के बेचता हुआ पाया गया। टीम ने छापा मारकर दुकानदार को पकड़ लिया। भारतीय मानक ब्यूरो की टीम का नेतृत्व वैज्ञानिक पीके गुप्ता ने किया। उन्होंने सूचना के आधार पर फरीदाबाद शाखा प्रमुख सुनील कुमार, नेहा यादव, साहिल भाटिया, तपन कुमार व भिवानी पुलिस के सहयोग से छापा मारा। छापे के दौरान हॉलमार्क लगी ज्वैलरी दुकान में पाई गई। दुकानदार बिना लाइसेंस के बीआईएस हॉलमार्क लगे आभूषण बेच रहा था। छापे के समय बीआईएस हॉलमार्क लगे सोने के कड़े भी पकड़े गए। इस फर्म के मालिक के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के अपराध की सज़ा एक वर्ष तक कारावास व पचास हजार जुर्माना या दोनों है।

— Press Release Hindi.jpg

नवभारत टाइम्स, फरीदाबाद, शनिवार, 23 जुलाई 2016

नकली हॉलमार्क की जूलरी मिली

■ **एनबीटी न्यूज, सेक्टर-12 :** भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने भिवानी में एक जूलरी शॉप पर छापेमारी कर नकली हॉलमार्क जूलरी बरामद की। जिला भारतीय मानक ब्यूरो प्रमुख सुनील कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर बीआईएस की एक टीम बनाई गई। टीम का नेतृत्व वैज्ञानिक सीके पीके गुप्ता ने किया। टीम ने छापेमारी की तो जूलर बिना बीआईएस लाइसेंस के बीआईएस हॉलमार्क लगे आभूषण बेचता मिला। इस केस में 50 हजार रुपये का जुर्माना या एक साल की सजा या दोनों होने का प्रावधान है।

— Press Clippings 3.jpg